



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244783
CG-DL-E-31032023-244783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1473]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1473]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2023

सं. 18/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1528(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51 (क) की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा,-

(i) ऐसे सीमाशुल्क स्टेशनों पर जहा की कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है पर आयातित या निर्यातित माल से संबंधित;

(II) अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनलों में आयातित या निर्यातित माल संबंधित;

(III) साथ में लगे सामानों से संबंधित जमा ओर;

(IV) निम्नलिखित अर्थात्,-

क. कोई भी सीमाशुल्क जिसमें सीमाशुल्क के रूप में लगाया गया उपकर ओर अधिभार भी शामिल है;

ख) एकीकृत कर;

ग) माल एवम् सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर

घ) इस अधिनियम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अंतर्गत देय ब्याज दंड, शुल्क या अन्य राशि के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में की जाने वाली जमा से भिन्न अन्य जमा को उक्त अधिनियम की धारा 51(क) के सभी प्रावधानों से छूट देता है।

(2) यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी और 30 अप्रैल, 2023 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

अनंत राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2023

No.18/2023-Customs (N.T.)

S.O. 1528(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the deposits, -

- I. with respect to goods imported or exported in customs stations where customs automated system is not in place;
- II. with respect to goods imported or exported in International Courier Terminals;
- III. with respect to accompanied baggage;
- IV. other than those used for making electronic payment of, -
 - a. any duty of customs, including cesses and surcharges levied as duties of customs;
 - b. integrated tax;
 - c. Goods and Service Tax Compensation Cess;
 - d. interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act, or Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),

from all of the provisions of section 51A of the said Act.

2. This notification shall come into effect from the 1st April, 2023 and shall be effective till the 30th April, 2023.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director (Customs).